

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	515]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2019/भाद्र 14, 1941
No.	515]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2019/BHADRA 14, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

सा.का.िन. 636(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (2) और उपधारा (4), धारा 139 की उपधारा (1) तथा धारा 469 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया) के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (छ) में शब्द "प्रभाग" के पश्चात् "अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य की अध्यक्षता वाले सहित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन हेतु, "बैंककारी कंपनी" में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 के खंड (घ) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (ख) में यथा-परिभाषित 'तद्नुरूपी नया बैंक' और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (ट) में यथा-परिभाषित 'समनुषंगी बैंक' शामिल है।"।

- 4. उक्त नियमों के नियम 5 में "30 अप्रैल को या उससे पूर्व प्राधिकरण के समक्ष ऐसे प्ररूप में विवरणी फाइल करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "30 नवंबर या उससे पूर्व प्राधिकरण के समक्ष प्ररूप एनएफआरए-2 में विवरणी फाइल करेगा" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।
- 5. उक्त नियमों के नियम 11 के उप-नियम (5) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

4641 GI/2019

"परंतु कि जहां उक्त अवधि के भीतर निपटान नहीं होता है तो प्रभाग उक्त अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस न भेजे जाने के कारणों को अभिलिखित करेगा और अध्यक्ष इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त अवधि, जैसा वह आवश्यक समझे, को ऐसी अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है जो 90 दिनों से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह भी कि अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, इस नियम के अधीन उक्त अवधि में एक से अधिक बार वृद्धि कर सकता है।"।

उक्त नियमों के उपाबंध में प्ररूप एनएफआरए-1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-6.

प्ररूप एनएफआरए-2

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 के नियम 5 के अनुसरण में]



लेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के समक्ष दायर की जाने वाली वार्षिक विवरणी

1. लेखापरीक्षक और संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों की पहचान

4		_	۵			-	_	•	_	/	_	
1	1	लखाप	राक्षक	काः	नाम	आर	उसस	सप	क क	रन	का विवर	JT

.1 लेखापरीक्षक का नाम और उससे संपर्क करने का विवरण				
(क) लेखापरीक्षक की श्रेणी O वैयक्तिक O फर्म O भारतीय एलएलपी O विदेशी एलएलपी				
(ख) सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) या कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण संख्या				
(ग) लेखापरीक्षक का नाम				
(घ) लेखापरीक्षक का आयकर पैन				
(ङ) लेखापरीक्षक की रजिस्ट्रीकरण संख्या का विवरण निम्नानुसार:				
(i) के द्वारा नियत: (प्रचालन के क्षेत्राधिकार में ऐसे रजिस्ट्रीकरण संख्याओं को नियत करने वाले विनियामक/एजेंसी का नाम)				
(ii) रजिस्ट्रीकरण करने वाला राष्ट्र				
(iii) विनियामक/एजेंसी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण संख्या				
(च) लेखापरीक्षक का रजिस्ट्रीकृत पता				
(छ) डाक पता, यदि उपरोक्त से भिन्न हो				
(ज) लेखापरीक्षक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की दूरभाष संख्या (राष्ट्र और क्षेत्र कोड सहित)				
(झ) लेखापरीक्षक का वेबसाइट पता, यदि कोई हो				
0.70				

2. रिपोर्टिंग अवधि

- (क) वार्षिक विवरणी (01/04/वर्ष) के लिए रिपोर्टिंग अवधि का आरंभ
- (ख) वार्षिक विवरणी (31/03/वर्ष) के लिए रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति

3. लेखापरीक्षक से संबंधित सामान्य सूचना

3.1 क्षेत्राधिकार सूचनाएं

(क) क्या नियम 3(1)(ड़) में विनिर्दिष्ट कारपोरेट निकाय के लेखापरीक्षक, संगत क्षेत्राधिकार में किसी

	विनियामक/अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा और अनुप्रमाण सेवाओं संबंधी 'गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा'					
	की प्रकृति की समीक्षा के अध्यधीन है।					
	O हां O नहीं					
	(i)	विनियामक/अभिकरण का नाम				
	(ii)	ऐसी समीक्षा की तारीख				
	(iii)	ऐसी समीक्षा की विधिमान्यता अवधि				
	(iv)	रेटिंग (कृपया मानक रेटिंग स्केल उपलब्ध कराएं)				
	(v)	ऐसी रेटिंग उपलब्ध कराने वाले नियामक/अभिकरण द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी				
(ख) क्या वा	र्षिक विवरणी दायर करने वाला लेखापरीक्षक किसी अन्य विनियामक द्वारा किसी अन्य समीक्षाओं के				
	अध्यधी	न है O हां O नहीं				
	(i)	विनियामक का नाम				
	(ii)	ऐसी समीक्षा की तारीख				
	(iii)	ऐसी समीक्षा की विधिमान्यता अवधि				
	(iv)	रेटिंग (कृपया मानक रेटिंग स्केल उपलब्ध कराएं)				
	(v)	ऐसी रेटिंग उपलब्ध कराने वाले नियामक द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी				
4. लेखा	परीक्षा ग्र					
(ক)		3(1)(क) से (घ) में विनिर्दिष्ट इकाइयों की संख्या जिसके लिए लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान				
	लखापर	ीक्षा रिपोर्ट(र्टें) जारी की गई हैं।				
	l. उपरोक्त 4(क) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इकाई से संबंधित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं –					
		1. कंपनी/कारपोरेट निकाय का नाम				
		2. कारपोरेट निकाय की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या पैन				
		3. वैश्विक अवस्थिति संख्या				
		4. कंपनी/कारपोरेट निकाय का नियंत्रण करने वाली श्रेणियों का चयन करें:-				
		 सूचीबद्ध प्रतिभूतियों वाली कंपनी 				
		০ नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन आने वाली असूचीबद्ध कंपनियां				
		o बीमा कंपनी				
		o बैंककारी कंपनी				
		 बिजली के उत्पादन या आपूर्ति करने वाली कंपनी 				
		 किसी विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी 				
		विशेष अधिनियम का नाम				
		 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (ख)(ग)(घ)(इ) और (च) के अनुसार किसी अधिनियम द्वारा निगमित कारपोरेट निकाय 				
		 केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कारपोरेट निकाय (आदेश की प्रति संलग्नक की जानी है) 				

- : 0: 22 0 0						
5. कंपनी/कारपोरेट निकाय का रजिस्ट्रीकृत पता						
6. लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)						
7. (क) नियुक्त भागीदार का नाम						
(ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या						
8. (क) नियुक्ति क्वालिटी समीक्षा भागीदार का नाम						
(ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या						
9. क्या लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संशोधन किया गया है						
O हां O नहीं						
10. क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी अथवा कारपोरेट निक रुपए में निम्नानुसार हैः-	गय से लेखा-परीक्षक द्वारा प्राप्त कुल फीस और व्यय भारतीय					
(i) सांविधिक लेखा-परीक्षा सेवाएं;						
(ii) कर लेखा-परीक्षा और अन्य कराधान सेवाएं	(ii) कर लेखा-परीक्षा और अन्य कराधान सेवाएं					
(iii) अनुप्रमाणन और प्रमाणन सेवाएं	(iii) अनुप्रमाणन और प्रमाणन सेवाएं					
(iv) गैर-लेखा-परीक्षा सेवाएं	(iv) गैर-लेखा-परीक्षा सेवाएं					
(v) जेब से खर्च						
11. यदि शुल्क भारतीय रुपए में प्राप्त नहीं हुआ, तो						
अन्य मुद्रा से भारतीय रुपए में						
इसे परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त परिवर्तन दर						
	भर्हक हैं					
O हां	O नहीं					
विवरण						
40	£ 3					
13. क्या लेखा-परीक्षक किसी विशिष्ट मामले में लेखा-परीक्षक की						
O हां	O नहीं					
विवरण						
(ख) नियम 3(1)(ङ) में विनिर्दिष्ट इकाइयों की संख्या ि	जेसके लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लेखा-परीक्षक ने कोई					
लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (रिपोर्टें) जारी की हैं						

5

 उक्त 4(ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इकाई से सं 	बंधित निम्नर्ि	लेखित सूचना प्रद	ान करें:				
1. कारपोरेट निकाय का नाम							
2. कंपनी का विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीक	रण संख्या	(एफसीआरएन)	अथवा	कारपोरेट	निकाय	की पहचा	न संख्या
3. वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)		••					
4. कारपोरेट निकाय का रजिस्ट्रीकृत पता							
5. लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तारीख		•					
6. क्या लेखा-परीक्षा रिपोर्ट संशोधित की ग	ई है।						
	O हां	0	नहीं				
7. क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी अ रुपए में निम्नानुसार है:-	थवा कारपोरे	रेट निकाय से लेख	ा-परीक्ष∘	क द्वारा प्राप्त	ा कुल फी	स और व्यय	। भारतीय
(i) सांविधिक लेखा-परीक्षा सेवाएं							
(ii) कर लेखा-परीक्षा और अन्य कर	' (ii) कर लेखा-परीक्षा और अन्य कराधान सेवाएं						
(iii) अनुप्रमाणन और प्रमाणन सेवा	(iii) अनुप्रमाणन और प्रमाणन सेवाएं						
(iv) गैर-लेखा-परीक्षा सेवाएं	(iv) गैर-लेखा-परीक्षा सेवाएं						
(v) जेब से खर्च							
8. यदि शुल्क भारतीय रुपए में प्राप्त नहीं हु की गई परिवर्तन की दर		किसी अन्य मुद्रा से	। भारती	य रुपए में प	ारिवर्तित	करने के लि	ए उपयोग
9. लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के कोई निष्कर्ष	जो विरूद्ध अ	ाथवा अर्हक हैं					
	O हां	0	नहीं				
विवरण							
10. क्या लेखा-परीक्षक किसी विशिष्ट मामले	ा में लेखा-पर्र	ोक्षक की रिपोर्ट प	र अपनी	राय व्यक्त	करने में अ	समर्थ है	
	O हां	0	नहीं				
विवरण							
11 क्या सामान रूप से स्वीकत लेखा-परीक्ष	ा मानकों /र्ज	गेएएएस) का अन	पालन कि	या गया है			

	O हां	O नहीं				
(क) यदि नहीं तो अनुपालित	·लेखा-परीक्षा मानक	ों का नाम				
12. क्या सामान रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएएपी) का अनुपालन किया गया है						
	O हां	O नहीं				
(क) यदि नहीं तो अनुपालित	लेखांकन मानकों का	। नाम				
13. वित्तीय विवरणों जो लेखा-परीक्ष	ा रिपोर्ट के विषय थे,	द्वारा समाविष्ट की गई अवधि				
(दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष)						
14. कंपनी/कारपोरेट निकाय का सीः कंपनी है।	•	जिसकी उपरोक्त क्रम संख्या 1 में इकाई एक सहायक अथवा संबंध				
15. कंपनी/कारपोरेट निकाय जि		नंख्या 1 में इकाई एक सहायक अथवा संबद्ध कंपनी है।				
16 उपरोक्त कम संख्या 15 में निर्दिष	कंपनी/कारपोरेट नि	काय की संचित आय				
		काय का संचित निवल मूल्य				
18. सहायक/संबद्ध कंपनी की आय						
क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट						
19. सहायक/संबद्ध कंपनी का निवल [ः]	मल्य					
क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट	4, 1					
		ारोक्त क्रम संख्या 15 में इकाई के लिए लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में जारी				
21. क्रम संख्या 20 में निर्दिष्ट फर्म का						
5. लेखा-परीक्षा से संबंधित सदस्यता,						
	_	र्कि के साथ लेखा-परीक्षक की सदस्यता अथवा संबद्धता				
O हां	O नहीं					
		रे जिसका फर्म के साथ इस प्रकार का संबंध है:				
े . 1. इकाई का नाम	-					
2. इकाई का पता						
3. देश						
		जेसके साथ इकाई संबद्ध है				
5. क्या ऐसा नेटवर्क आईसीए						
, О हां	े O नहीं	· · ·				
यदि हां, रजिस्ट्रीकरण संख्या						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		······ । अपेक्षित नहीं है जो उस नेटवर्क का भाग है, किंतु केवल उस नेटवर्क				
से संबंधित सचना, अथवा प्रधान इका						

6. लेखापरीक्षक के साझेदार और कर्मचारी

6.1 साझेदार								
(क) साझेदारों की संख्या								
(ख) साझेदारों का विवरण								
नाम	नियामक द्वारा नियत रजिस	ट्रीकृत संख्या	प्रत्येक फर्म के लेखा-परीक्षकों के नाम जिसमें व्यक्ति एक साझेदार है					
6.2 कर्मचारी								
लेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त चार्टे बताएं	र्डि अकाउंटेंट या इसके समक	क्ष (किसी अन्य	। संगत क्षेत्राधिकार में) कर्मचारियों की कुल संख्य					
7. लेखापरीक्षक के विरूद्ध आरंक	न की गई अनुशासनात्मक या	अन्य कार्रवाई	का ब्यौरा					
(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान परीक्षक के साझेदार अथवा कर्मः			क सिविल या अनुशासनात्मक कार्यवाही या लेख ज़्ल संख्या।					
l. निम्नलिखित विवरण दें:-								
1. स्वरूप O आप	ाराधिक O दीवानी	O अनुशास	नात्मक					
े 2. व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई								
O साझेदार	O कर्मचारी							
3. साझेदार/कर्मचारी का नाम								
4. नियामक/अभिकरण का नाम जिसने अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की								
5. संबद्ध कार्यवाही की तारीख								
6. उस कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण								
7. क्या अंतिम आदेश जारी किया गया								
	O हां	O नह	ीं					
8. विशेष परिस्थितियां								
8.1 त्यागपत्र								
1. क्या लेखा-परीक्षक ने किसी व	कंपनी/कारपोरेट निकाय से पि	ोछले तीन वर्ष	के दौरान अपने पद से त्यागपत्र दिया है:					
	O हां	O नह	Ĵ İ					
2. कंपनियों/निकायों की संख्या	जिनसे लेखा-परीक्षकों ने पिछ	इले तीन वर्ष में	त्यागपत्र दिया					
कंपनी/कारपोरेट निकाय का सीआईएन/पेन	कंपनी/कारपोरेट नि नाम	काय का	प्रतिवेदन अवधि जिसके लिए त्यागपत्र दिया गया (दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष)					

8.2 लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का वापस लिया जाना

1. क्या लेखा-परीक्षक ने पिछली तीन प्रतिवेदन अवधियों में वित्तीय विवरणी पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को वापस लिया या रिपोर्ट, दस्तावेज या लिखित संप्रेषण में अपना नाम प्रयोग करने की अपनी सहमति वापस ली।

O हां O नहीं

कंपनी/कारपोरेट निकाय का सी आईएन/पे न	कंपनी/कारपोरेट निकाय का नाम	प्रतिवेदन अवधि जिसके लिए त्यागपत्र दिया गया (दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष)				
9. लेखा-परीक्षक की क्वालिटी नियंत्रण नीतियां						
). लेखा-परीक्षक की क्वालिटी नियंत्र	ण नीतिया					

10. सहमति

कंपनी अधिनियम, 2013 और समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण नियम, 2018 के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा अपनी शक्तियों तथा दायित्वों के निर्वहन हेतु सूचना या दस्तावेज प्रस्तुतिकरण के किसी भी अनुरोध पर फर्म ने सहयोग व अनुपालन की सहमित दी है।

साझेदार या अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.

[फा. सं. 1/4/2016-सीएल-I]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1111(अ) तारीख 13 नवम्बर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 के उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2019

- **G.S.R. 636(E)** —In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (4) of section 132, sub-section (1) of section 139 and sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the National Financial Reporting Authority Rules, 2018, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Financial Reporting Authority Rules, 2018 (hereinafter referred to as the said rules), in clause (g) of sub-rule (1) of rule 2, after the words "a division", the words, "including the one headed by the chairperson or a full-time member", shall be inserted.
- 3. In the said rules, after clause (c) of sub-rule (1) of rule 3, the following explanation shall be inserted, namely:-
- **"Explanation.-** For the purpose of this clause, "banking company" includes 'corresponding new bank' as defined in clause (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,

1970 (5 of 1970) and clause (b) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) and 'subsidiary bank' as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959 (38 of 1959).".

- 4. In the said rules, in rule 5, for the figures, letters and words "30th April every year in such form as may be specified by the Central Government", the figures, letters and words "30th November every year in Form NFRA-2" shall be substituted.
- 5. In the said rules, in sub-rule (5) of rule 11, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that where the disposal does not take place within the said period, the Division shall record the reasons for not disposing off the show-cause notice within the said period, and the chairperson, may, after taking into account the reasons so recorded, extend the aforesaid period by such additional period not exceeding ninety days as he may consider necessary:

Provided further that the chairperson may, if he thinks fit, grant the said extension of period more than once.".

6. In the said rules, in the Annexure, after Form NFRA-1, the following Form shall be inserted, namely:—

FORM NFRA-2

[Pursuant to section 132 of the Companies Act, 2013 and rule 5 of the National Financial Reporting Authority Rules, 2018]



Annual Return To Be Filed By Auditor With The National Financial Reporting Authority

1. IDENTITY OF THE AUDITOR AND CONTACT PERSONS
1.1 NAME AND CONTACT DETAILS OF THE AUDITOR
(a) Category of auditor O Individual O Firm O Indian LLP O Foreign LLP
(b) Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) or any other registration number
(c) Name of the Auditor
(d) Income Tax PAN of Auditor
(e) Details of the Auditor's registration number as under
(i) Assigned by: (Give name of regulator/agency who assigns such registration numbers in the jurisdiction of operations)
(ii) Country of registration
(iii) Registration number with the regulator/agency
(f) Registered address of the Auditor
(g) Mailing address (if different from the above)

(h) Telephone number of the Auditor's registered office (incl. country and area codes)	
(i) Website address of the Auditor, if any	
2. REPORTING PERIOD	
(a) Start of reporting period for annual return (01/04/YYYY)	
(b) End of reporting period for annual return (31/03/YYYY)	
3. GENERAL INFORMATION CONCERN	ING THE AUDITOR
3.1 JURISDICTIONAL INFORMATION	IN THE MODITOR
(a) Whether the Auditor of the body corporate sp	pecified in rule 3(1)(e) has been subjected to a review in ng the audit and attestation services of the Auditor by a
O Yes O No	
(i) Name of Regulator/agency	
(ii) Date of such review	
(iii) Validity period of such review	
(iv) Rating (please provide the standard	
rating scale followed)	
(v) Any adverse remarks by the regulator/ agency providing such rating	
regulators.	urn has been subjected to any other reviews by other
O Yes (i) Name of Regulator	O No
(ii) Date of such review	
(iii) Validity period of such review	

	(iv) Rating (please provide the standard rating scale followed)	
	(v) Any adverse remarks by the regulator providing such rating	
4.	AUDIT CLIENTS AND AUDIT REPORTS OF TH	E AUDITOR
	(a) Number of entities specified in rule 3(1) (a) to (d report(s) during the reporting period:) for which the Auditor issued any audit
I.	Provide the following information concerning ea	ch entity specified in 4(a) above:
	1. Name of company/body corporate	
	2. Corporate identity number (CIN)	
	or PAN of body corporate	
	3. Global Location Number	
	 4. Select the class(es) in which the company/body corporate is governed:- O company whose securities are listed O unlisted companies covered under clause (b) O insurance company O banking company O company engaged in the generation or supple O company governed by a special Act Name of special Act 	
	O body corporate incorporated by an A (f) of sub-section (4) of section 1 of t	ct in accordance with clause (b), (c), (d), (e) and he Companies Act, 2013
	O body corporate which has been referr to be attached)	ed by the Central Government (copy of the order
	5. Registered address of the	
	company/ body corporate	
	company, cody corporate	
	6. Date of the audit report	
	(dd/mm/yyyy)	
7	(A) Name of Engagement Partner	
	(B) Registration Number	

8. (A) Name of Engagement Quality Review Partner						
(B) Registration Number						
9. Whether audit report has been modified.						
O Yes O No						
10. Total fees and expenses received by the Auditor in Sl. No. 1 in Indian Rupees as under:-	from each company or body corporate referred to					
(i) statutory audit services						
(ii) tax audit and other taxation services						
(iii) attestation and certification services						
(iv) non-audit services						
(v) out-of-pocket expenses						
11. If fees not received in Indian Rupees, rate of conversion used for converting the same from any other currency	to Indian Rupees					
12. Any findings in the Auditor's report which are unfavourable or qualified O Yes O No						
Details						
13. Whether Auditor is unable to express any opinion of	on any specified matter in the Auditor's report					
O Yes O N Details	No					
(b) Number of entities specified in rule 3(1) (e) during the reporting period	for which the Auditor issued any audit report(s)					

I. Provide the following information concern	ning each entity specified in 4(b) above:
1. Name of body corporate	
J 1	
2. Foreign company registration number (FCR	N)
of the company or Identity number of body	·
of the company of identity number of body of	coi poi ate
3. Global Location Number (GLN)	
4. Registered address of the	
body corporate	
5. Date of the audit report	
or a me or me manager	
6. Whether audit report has been modified.	
o. Whether addit report has been modified.	
O Yes	O No
	from each company or body corporate referred to in sl.no.
1 in Indian Rupees as under:-	from each company of body corporate referred to in st.no.
c F	
(i) statutory audit services	
(1) statutory audit services	
(ii) tax audit and other taxation service	ees
(iii) attestation and certification service	es
(iv) non-audit services	
(v) out-of-pocket expenses	
() out of point inpenses	
O If fees not reserved in Indian Dynass	
8. If fees not received in Indian Rupees,	
rate of conversion used for converting the	
from any other currency to Indian Rupees	S.
9. Any findings in the Auditor's report which	
O Yes	O No
Details	
10 1071	
10. Whether Auditor is unable to express any	opinion on any specified matter in the Auditor's report
O Yes	O No
Details	
Details	

11. Whether Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) have been followed
O Yes O No	
(a) if no, then name of the auditing standard follo	owed
12. Whether Generally Accepted Accounting Principle O Yes O No	s (GAAP) have been followed
(a) if no, then name of the accounting standard fol	lowed
13. Period covered by the financial statements	
that were the subject of the audit report	
(dd/mm/yyyy) to (dd/mm/yyyy)	
14. CIN or PAN of the company/	
body corporate of which the	
entity in Sl. No. 1 above is a subsidiary or associate company.	
15. Name of the company/body corporate of which the entity in Sl. No.1 above is a subsidiary or associate company.	
16. Consolidated income of the company/body corporate referred in Sl. No. 15 above	
17. Consolidated net worth of the company/ body corporate referred in Sl. No. 15 above	
18. Income of the subsidiary/associate referred in Sl. No. 1	
19. Networth of subsidiary/associate	
referred in Sl. No. 1	
20. LLPIN/ Registration Number of the firm	
that issued the audit report(s) for the entity in S1. No. 15 above	
21. Name of the firm referred to in Sl. No. 20.	
5 AUDIE DEL AGED MEMBERCHING ASSIVIA	ENONG OR COMIT AR ARRANGEMENTS
5. AUDIT-RELATED MEMBERSHIPS, AFFILIA' OF THE AUDITOR	HUNS, UK SIMILAK AKKANGEMENTS
(a) Membership or affiliation of the auditor with any no services oYes o No	etwork in connection with the provision of audit
(b) If the response to the above is Yes, identify the enti 1. Entity name	ity with which the Firm has such relationship:
2. Entity address	

3. Country				
4. Provide a brief descri relationship the Firm	=			
5. Whether such network	k is registered with ICA	AI		
O Yes	O No			
If yes, provide the regis	stration number			
Note: Item 5(b) does not rebut only information concern	_		_	
6. PARTNERS AND EMP	LOYEES OF THE A	UDITOR		
(a) Number of partners				
(b) Details of the partners	L			
Name	Registration Nu the Regulator	mber assigned by	Names of every auditors in wi person is partner	firms of hich the
6.2 EMPLOYEES				
Provide the total number of C	Chartered Accountants	or its equivalent (in a	ny relevant jurisdicti	on)
employed by the Auditor				
7. DETAILS OF DISCIP AUDITOR	LINARY OR OTHE	R PROCEEDINGS	INITIATED AGA	INST THE
(a) Total number of criminal, proceedings against any partr in connection with any audit	ner or employee of the			
I. Provide the following de	tails:-			
1. Nature O Criminal	O Civil O Discip	olinary		
2. Person against whom proof of Partner O Er		place		
3. Name of partner/emp	loyee			
4. Name of the regulator has initiated the disci				
5. The date of the releva	ant proceedings			
6. Brief description of t	he same			

7. Whether a final order has been passed					
O Yes O No					
8. SPECIAL CIRCUMSTANC	ES				
8.1 RESIGNATIONS					
1. Whether the auditor has resign	ed from his post in any co	ompany/bod	ly corporate during the past three		
years:					
O Yes	O No				
2 Namehou of commonica/hodica		die amma ai am	ad dyning the most three years		
2. Number of companies/bodies of	corporate in which the au	uitoi resigne	during the past three years		
CIN/PAN of the	Name of the	Reporting	g period for which the		
company/body corporate	company/body	resignatio			
company/body corporate	company/body		YYYY) to (DD/MM/YYYY)		
	corporate	(DD/IIII)			
8.2 WITHDRAWAL OF AN A	UDIT REPORT				
1. Whether the Auditor has without	lrawn an audit report on f	inancial stat	tements, or withdrawn its consent		
			n in the past three reporting periods		
,	,		1 01		
O Yes	O No				
2. Number of companies/bodies of	corporate in which such v	vithdrawal t	ook place during the past three		
years					
CUNUDANI 641	NT C 41	// 1	D 4: 1 6		
CIN/PAN of the	Name of the comp	pany/body	Reporting period for		
company/body corporate	corporate		which the withdrawal		
			took place		
			(DD/MM/YYYY) to		
			(DD/MM/YYYY)		
8. QUALITY CONTROL PO	LICIES OF THE AUDI	TOR			
	l policies and procedures	of the Audi	tor for its auditing practice during		
the reporting period					

1	n). (7	\cap		TC	17	N	T	٦
	u			u	ж		MH.	. 17		

The Firm has consented to co-operate and comply with any request for information or the production of documents made by the National Financial Reporting Authority (NFRA) in furtherance of its powers and responsibilities under the Companies Act, 2013 and the National Financial Reporting Authority Rules, 2018 as amended from time to time.

SIGNATURE OF PARTNER OR AUTHORISED OFFICER.

[F. No. 1/4/2016 CL-I]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1111(E), dated the 13th November, 2018.